वित्त विभाग से
अनौपचारिक रूप
से अनुमोदित

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक .....

विषयः–माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अवमाननावाद संख्या–425–426/2015 में पारित न्यायादेश दिनांक 23.02.2017 के आलोक में आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर बिहार राज्य के पटना उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा प्रहरी तथा संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च हेतु प्रतिमाह स्वीकृत राशि क्रमशः ₹ 14,000/– (चौदह हजार) एवं ₹ 12,000/– (बारह हजार) प्रतिमाह तथा दूरभाष प्राधिकारों द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत मुफ्त कॉल की संख्या के अतिरिक्त 1500 कॉल की अधिकतम सीमा तक प्रतिमाह दूरभाष भत्ता के स्वीकृति दिनांक 01.10.2014 के प्रभाव से दिये जाने तथा इस हद तक विभागीय संकल्प संख्या–9393 दिनांक 05.07.2016 को संशोधित करने एवं तदनुरूप भुगतेय बकाया राशि में विभागीय संकल्प संख्या–3049 दिनांक 21.02.2013 के आलोक में पूर्व में प्राप्त भुगतान राशि के समायोजन के संबंध में।

1. पटना उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को विभागीय संकल्प संख्या–3049 दिनांक 21.02.2013 के द्वारा घरेलू सहायता भत्ता के रूप में क्रमशः ₹ 10,000/– (दस हजार) एवं ₹ 8,000/– (आठ हजार) प्रतिमाह तात्कालिक प्रभाव (दि0 21.02.2013) से स्वीकृत है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) संख्या–521, 523, 524/2002 में दिनांक 31.03.2014 को पारित आदेश से उत्पन्न अवमाननावाद (सिविल) संख्या–425–426/2015 के आलोक में, विभागीय संकल्प संख्या–9393 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा पटना उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा प्रहरी तथा संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च हेतु प्रतिमाह स्वीकृत राशि क्रमशः ₹ 14,000/– (चौदह हजार) एवं ₹ 12,000/– (बारह हजार) प्रतिमाह तथा दूरभाष भत्ता 1500 कॉल की अधिकतम सीमा तक प्रतिमाह संकल्प निर्गत की तिथि दिनांक 05.07.2016 से स्वीकृत है।

3. उपर्युक्त अवमाननावाद संख्या–425–426/2015 में दिनांक 23.02.2017 के आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायधीश एवं माननीय न्यायाधीशों को आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर देय सुविधाओं की तिथि को दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी करने का निदेश किया है। आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"Taking note of the above, we close all these matters with a direction that all the States will adhere to the payment of allowance on the Andhra Pradesh Model with effect from 1st October, 2014. All amounts due in terms of the present order and the orders passed in the matters from time to time will be paid as expeditiously as possible."

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) संख्या–521, 523, 524/2002 में दिनांक 31.03.2014 को पारित आदेश की संगत कंडिका–33 में आंध्र प्रदेश मॉडल का उल्लेख निम्न प्रकार पठित हैः–

(33) It is brought to our notice that in pursuance of the said Resolution, most of the States in the Country have extended various post-retiral benefits to the retired

Chief Justices and retired Judges of the respective High Courts. By **G.O.Ms. No. 28 dated 16.03.2012 issued by Law Department, Government of Andhra Pradesh sanctioned an amount of Rs. 14,000/- per month to the retired Chief Justices of the High Court of Andhra Pradesh and an amount of Rs. 12,000/- per month to the retired Judges of the High Court of Andhra Pradesh for defraying the services of an orderly, driver, security guard etc. and for meeting expenses incurred towards secretarial assistance on contract basis and a residential telephone free of cost with number of free calls to the extent of 1500 per month over and above the number of free calls per month allowed by the telephone authorities to both the retired Chief Justices and Judges of the High Court of Andhra Pradesh w.e.f. 01.04.2012.**

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:–

(क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अवमाननावाद संख्या–425–426/2015 में पारित न्यायादेश दिनांक 23.02.2017 के आलोक में आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर बिहार राज्य के पटना उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा प्रहरी तथा संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च हेतु प्रतिमाह स्वीकृत राशि क्रमशः ₹ 14,000/– (चौदह हजार) एवं ₹ 12,000/– (बारह हजार) प्रतिमाह तथा दूरभाष प्राधिकारों द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत मुफ्त कॉल की संख्या के अतिरिक्त 1500 कॉल की अधिकतम सीमा तक प्रतिमाह दूरभाष भत्ता की स्वीकृति दिनांक 01.10.2014 के प्रभाव से प्रदान की जाती है।

(ख) विभागीय संकल्प संख्या–9393 दिनांक 05.07.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(ग) तदनुरूप भुगतेय बकाया राशि में विभागीय संकल्प संख्या–3049 दिनांक 21.02.2013 के आलोक में पूर्व में दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 04.07.2016 तक भुगतान की गई राशि का समायोजन कर लिया जाय।

6. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/7/17

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–2–03/2008 सा0प्र0 8363 /पटना–15, दिनांक 10.7.17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

10/7/17

सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/NOTICE/SANKALP

ज्ञापांक–7/स्था01–2–03/2008 सा0प्र0 8363 /पटना–15, दिनांक 10.7.17

प्रतिलिपि–सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/17
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–2–03/2008 सा0प्र0 8363 /पटना–15, दिनांक 10.7.17

प्रतिलिपि–श्री गोपाल सिंह, स्थायी समुपदेशक, बिहार, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/17
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–2–03/2008 सा0प्र0 8363 /पटना–15, दिनांक 10.7.17

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/17
सरकार के उप सचिव।